

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 92/310/

पटना, दिनांक 15.1.18

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन)19/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

अग्र परियोजना पदाधिकारी,
इनारावरण, कटोरिया, बांका/श्यामबाजार, बांका/गंगटामोड़, मुंगेर।

विषय :-

मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0105-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851007890105 के विषय शीर्ष 0105.02.01-मजदूरी एवं 0105.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण मद से तसर विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 में रू० 2,32,46,800/- (दो करोड़ बत्तीस लाख छियालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 143 दि० 11.01.2018 के आलोक में उपर्युक्त विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू० 2,32,46,800/- (दो करोड़ बत्तीस लाख छियालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0105-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851007890105, विषय शीर्ष 0105.02.01-मजदूरी एवं 0105.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण मद से विकलित होगा। विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के बीच राशि का वितरण निम्न सारणी के अनुरूप होगा :-

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आवंटित राशि (रू०)			जिला कोषागार
		0105.02.01 मजदूरी	0105.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण	योग	
1	अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण, कटोरिया, बांका	1,09,88,800	10,72,000	1,20,60,800	बांका
2	अग्र परियोजना पदाधिकारी, श्यामबाजार, बांका	67,18,000	16,00,000	83,18,000	बांका
3	अग्र परियोजना पदाधिकारी, गंगटामोड़, मुंगेर	22,44,000	6,24,000	28,68,000	मुंगेर
4	योग	1,99,50,800	32,96,000	2,32,46,800	

- 3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
 (क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
 (ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।
 (ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सकें और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
- 5 राशि की निकासी जिला कोषागार, बांका/मुंगेर से की जाएगी।
- 6 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- 7 2017-18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।
- 8 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 143, दिनांक 11.01.2018 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन

[Handwritten Signature]
12/1

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15.1.18

ज्ञापांक 92/3170/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बांका/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
12/1

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15.1.18

ज्ञापांक 92/3170/

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका एवं मुंगेर/सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना एवं भागलपुर/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक; तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए०सी०-डी०सी० यू०सी० कोषांग, उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई०टी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
12/1

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।